न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 43/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– ढेलकंवर पत्नी स्व0 हरि सिह 2– उम्मेद सिह पुत्र स्व0 हरि सिह 3– चेतन सिह पुत्र स्व0 हरि सिह 4– जुगत सिह पुत्र स्व0 हरि सिह 5– हमीर सिह पुत्र स्व0 हरि सिह 6– नखत सिह पुत्र स्व0 हरि सिह सभी जातियान राजपूत निवासीगण हरसाणी, तहसील गडरारोड, जिला बाडमेर		1– सरूपसिह पुत्र आईदान सिह जाति राजपूत निवासी हरसाणी, तहसील गडरा रोड, जिला बाडमेर 2– शोभ सिह पुत्र हरि सिह 3– राण सिह पुत्र हडवंत सिह 4– मालम सिह पुत्र मंगल सिह 5– शैतान सिह पुत्र मंगल सिह सभी जातियान राजपूत निवासीगण हरसाणी, तहसील गडरारोड जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 9–12–2017 जो उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 346/2017 अनवान सरूप सिह बनाम शेभ सिह वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–एम0एल0खत्री अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 4 की ओर से ।
3–शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 5–11–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष दिनांक 12–11–2017 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके खातेदारी के खेत खसरा नंबर 1247 रकबा 56.04 बीघा तथा खसरा नंबर 1232 रकबा 13.10 बीघा भूमि ग्राम तुडबी मे आई हुई है तथा काश्त की सुविधा के लिए अपने खातेदारी की भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है तथा खसरा नंबर 1247 व 1232 के चारो तरफ पुराने सेडे बने हुए है जिनको अप्रार्थीगण तोडने की कोशिश करते है जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है इसलिए उक्त विवाद को समाप्त करने के लिए पुलिस इमदाद के साथ नेखमबंदी के आदेश पारित करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 23–11–2017 को दर्ज कर दिनांक 9–12–2017 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम तुडबी पटवार मण्डल हरसाणी के खेत खसरा नंबर 1247 रकबा 56.04 बीघा एवं खसरा नंबर 1232 रकबा 13.10 बीघा भूमि के चारो ओर पक्के नेखम स्थापित करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक हरसाणी को कमिश्नर नियुक्त करते हुए आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद के साथ नेखमबंदी के आदेश पारित कर दिये, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने उनके खातेदारी के खेत खसरा नंबरान 1247 एवं 1232 ग्राम तुडबी मे नेखमबंदी करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 9–12–2017 को एकतरफा आदेश हासिल कर लिया जबकि अपीलांट के खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1233, 2682/1233, 2680/1233, 2683/1233, 2685/1233 की सीमाओं से लगते हुए है परंतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे न तो हमे पक्षकार बनाया और न ही उन्हे सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान किया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट जो कि अपीलाधीन आदेश से प्रभावित है तथा उसे पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है इसलिए अपीलांट ने यह अपील धारा 96 सी.पी.सी. अपील पेश करने की अनुमति के साथ प्रस्तुत की है, जिसें स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कोई पैमाईश रिपोर्ट प्रस्तुत नही की तथा न ही पैमाईश करवाने बाबत कोई आवेदन या शुल्क ही जमा कराया है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि बिना पैमाईश रिपोर्ट के नेखमबंदी बाबत आदेश पारित किया ही नही जा सकता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की कोई जांच रिपोर्ट तलब किये बिना ही पुलिस इमदाद के साथ नेखमबंदी करने बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जबकि बिना पैमाईश एवं जांच रिपोर्ट के नेखमबंदी बाबत कोई आदेश पारित किया ही नही जा सकता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे शोभसिंह वगैरा को पक्षकार बनाया है तथा यह भी कथन किया कि अपीलांट स्वयं उक्त खसरा नंबरान की नेखमबंदी नही करवाना चाहते है । वकील अपीलांट ने इस संबंध मे अपनी बहस के दौरान फर्द तलबाना के सलंग्न अपीलांटगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष अपने खातेदारी के खेत खसरा नंबरान की नेखमबंदी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र.अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश किया था जिसमे दोनो पक्षो की सहमति से दिनांक 17–5–2018 को नेखमबंदी के आदेश पारित करवाये लेकिन अपीलांट उक्त आदेश होते हुए भी नेखमबंदी

नही करवाना चाहते है ।

अंत मे वकील रेस्पो0 ने निवेदन किया कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे दोनो के खसरा नंबरान की पैमाईश करवाकर नेखमबंदी बाबत विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड करें ।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय हाजा के समक्ष वकील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा किश्तवार ग्राम तुडबी की प्रमाणित प्रति दिनांक 27–2–18 के अवलोकन से यह प्रकट है कि रेस्पो0 के खसरा नंबरान 1247 एवं 1232 जो अपीलांट के खसरा नंबरान 1233, 2682/1233, 2680/1233, 2683/1233, 2685/1233 की सीमाओं से लगते हुए है परंतु अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान अपीलांटगण को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश हासिल कर लिया, जो विधि एवं न्यायसंगत नही माना जा सकता है ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ अपीलाधीन भूमि की सीमाज्ञान करवाये बिना ही नेखमबंदी के लिए आवेदन पत्र पेश कर दिया परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय हाजा के समक्ष रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान जो दस्तावेजात पेश किये है जिनमे वर्तमान अपीलांटगण द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव मे अपने खातेदारी की भूमि खसरा नंबरान 1233, 2682/1233, 2680/1233, 2683/1233, 2685/1233 की नेखमबंदी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर निर्णय दिनांक 17–5–2018 को पारित करवा लिया है ।

ऐसे मे हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–12–2017 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे उभय पक्षकारान के खसरा नंबरान की पैमाईश उनकी उपस्थिति मे सम्पन्न करे तथा उभय पक्षकारान को उनकी सीमा का ज्ञान कराकर विधिक प्रकिया अनुसार पुनः अपीलाधीन भूमि की नेखमबंदी संबंधी कार्यवाही सम्पन्न करें ।

निर्णय आज दिनांक 5–11–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर